न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 249/2019 पुनरीक्षण प्रार्थना (निगरानी)

उनवान

1. श्रीमती छाऊ पत्नि गहरी लाल पुत्री रामलाल गाडरी निवासी सालमपुरा तहसील कोटड़ी
2. श्रीमती भूरी पत्नि धर्मा गाडरी पुत्री रामलाल गाडरी निवासी सालमपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. बद्री लाल पुत्र श्री रामलाल गाडरी निवासी फतेहगढ़ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

पुनरीक्षण प्रार्थना विरूद्ध आदेश एवं पट्टा दिनांक 20/12/13 बाबत विपक्षी श्री बद्री लाल के नाम पर जारी पट्टा संख्या 24 ग्राम फतेहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाड़ा को खारिज कराने बाबत।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधीनियम 1994

उपस्थित –

1. श्री सुनिता गर्ग अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री प्रताप तेली अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.11.2021

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रामलाल जी के तीन संताने है। जिसमें प्रार्थीगण छाऊ व भूरी पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा पुत्र बद्री है। इस प्रकार रामलाल जी के तीन विधिक वारिस है। ग्राम फतेहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा में रामलाल जी की जायदाद है, जिस पर प्रार्थीगण का भी कब्जा उपयोग उपभोग एवं आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त जायदाद में प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से 2/3 हिस्सा हक एवं अधिकार निहित है। विपक्षी बद्री लाल द्वारा दिनांक 01–01–2013 बिना किसी हक एवं अधिकार रामलाल गाडरी के मकान का पुश्तैनी पट्टा बनाने बाबत् स्वयं के नाम से आवेदन दे दिया जिस पर विपक्षी ग्राम पंचायत रीठ द्वारा दिनांक 20/12/13 को पट्टा जारी

कर दिया विपक्षी द्वारा जारी पट्टा की कार्यवाही व आदेश विधि एवं अवैध एवं शून्य हैं, क्योंकि अकेले मात्र बद्री लाल को कोई हक एवं अधिकार नहीं, क्योंकि रामलाल जी की पुत्रियां होने से प्रार्थीगण भी हक एवं अधिकार तथा आधिपत्य रखती है, और 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण का हिस्सा होने से बद्री लाल जी के पक्ष में जारी पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा रामलाल गाडरी के वारिसान के सम्पूर्ण जांच नहीं की गई और रामलाल के प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण पुत्रिया है। जिससे किसी तरह की अनापत्ति नहीं ली गई है, और न ही कब्जे बाबत् सम्पूर्ण जांच की गई। पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इस पट्टे की जानकारी व ज्ञान प्रार्थीगण को नहीं था। परन्तु दिनांक 10–06–2019 को जब प्रार्थी पुनरीक्षकगण से विपक्षी बद्री लाल ने लडाई झगडा किया और कहा कि इस जायदाद का पट्टा तो मैने अकेले ने अपने नाम पर बनवा लिया है अब तुम कभी यहां पर मत आना। तब प्रार्थी पुनरीक्षकगण ने ग्राम पंचायत रीठ से पट्टे की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रति प्राप्त की, जिससे दिनांक 28/6/19 को प्रमाणित प्रति मिलने पर प्रार्थी पुनरीक्षक को पट्टा संख्या 24 ग्राम फतेहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाड़ा की जानकारी हुई और जानकारी दिनांक 28/6/19 से विहित परिसीमा अवधि में यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जाती है। वैसे तो धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की कोई परिसिमा विहित नहीं है फिर भी किसी तकनीकि बिन्दु से कोई बाधा उत्पन्न ना हो इस कारण जानकारी दिनांक 28–06–2019 से परिसीमा अवधि की गणना की जानी चाहिये। कोई कानूनी कमी ना रहे इस कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। पट्टा जारी करने की दिनांक 20–12–2013 से पट्टा की जानकारी होने की दिनांक 28–06–2019 तक की अवधि परिसीमा संगणना की अवधि क्षम्य कराई जावे । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी–पुनरीक्षकगण की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार फरमा पट्टा संख्या 24 ग्राम फतेहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाड़ा को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 01.08.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन

किया कि रामलाल जी के तीन संताने है। जिसमें प्रार्थीगण छाऊ व भूरी पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा पुत्र बद्री है। इस प्रकार रामलाल जी के तीन विधिक वारिस है। ग्राम फतेहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा में रामलाल जी की जायदाद है, जिस पर प्रार्थीगण का भी कब्जा उपयोग उपभोग एवं आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त जायदाद में प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से 2/3 हिस्सा हक एवं अधिकार निहित है। विपक्षी बद्री लाल द्वारा दिनांक 01–01–2013 बिना किसी हक एवं अधिकार रामलाल गाडरी के मकान का पुश्तैनी पट्टा बनाने बाबत् स्वयं के नाम से आवेदन दे दिया जिस पर विपक्षी ग्राम पंचायत रीठ द्वारा दिनांक 20/12/13 को पट्टा जारी कर दिया विपक्षी द्वारा जारी पट्टा की कार्यवाही व आदेश विधि एवं अवैध एवं शून्य हैं, क्योंकि अकेले मात्र बद्री लाल को कोई हक एवं अधिकार नहीं, क्योंकि रामलाल जी की पुत्रियां होने से प्रार्थीगण भी हक एवं अधिकार तथा आधिपत्य रखती है, और 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण का हिस्सा होने से बद्री लाल जी के पक्ष में जारी पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा रामलाल गाडरी के वारिसान के सम्पूर्ण जांच नहीं की गई और रामलाल के प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण पुत्रिया है। जिससे किसी तरह की अनापत्ति नहीं ली गई है, और न ही कब्जे बाबत् सम्पूर्ण जांच की गई। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी–पुनरीक्षकगण की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार फरमा पट्टा संख्या 24 ग्राम फतेहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाड़ा को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार छाउ एवं भूरी गैर निगराकार संख्या 01 की बहनें हैं। निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाने में कोई आपत्ति नही हैं। दोनों बहनें एवं गैर निगराकार संख्या 01 तीनों के नाम पर अपने अपने हिस्सेनुसार पटटा जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की मिसल प्रतिलिपि अनुसार पाया गया कि मिसल पत्रावली पर आवेदक का आवेदन पत्र नही हैं। मिसल आदेशिका दिनांक 20.12.2013 में अंकन किया हुआ है कि सरपंच व सचिव द्वारा

आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया, जिस पर सरपंच व सचिव तथा आवेदक के हस्ताक्षर हैं। किन्तु मिसल प्रतिलिपि का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि स्थल निरीक्षण नक्शा आबादी भूमि में तलिया में न तो आवेदक के हस्ताक्षर हैं एवं न ही सचिव के हस्ताक्षर हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की मिसल पत्रावली प्रतिलिपि से जाहिर आया कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पटटा पुश्तैनी मकान का जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 ने भी अपने जवाब में अंकित किया कि निगराकार छाऊ एवं भूरी उसकी बहनें हैं। गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाने में कोई आपत्ति नही हैं। दोनों बहनों एवं गैर निगराकार संख्या 01 सभी तीनों के नाम पर हिस्सेनुसार पटटा जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। ग्राम पंचायत ने पटटा जारी किये जाने से पूर्व उक्त दोनों बहनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नही लिया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पटटा प्रारब्ध से ही संदेहास्पद होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रीठ को रिमाण्ड किया जाना युक्ति युक्त ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जारी पटटा संख्या 24 दिनांक 20.12.2013 को अपास्त करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रीठ को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता हैं कि प्रकरण में हितबद्ध सभी पक्षकारों की पूर्ण सुनवायी कर, समस्त दस्तावेजात का परीक्षण कर पटटा जारी किये जाने हेतु अजसिरे निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा